प्रपत्र-VIII- क

कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- **608** तिथि- **05.01.2018** के संदर्भ में

श्रीमती पुष्पलता, पति-श्री अशोक कुमार, श्री मुक्तेश्वरनाथ सहाय एवं अन्य, पिता-श्री रामनाथ सहाय, पता-हदसपुरा, थाना-रूपसपुर, पो0-खगौल, जिला-पटना।

(क) आवासीय भवन के निर्माण

(ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण

(ग) भवन के पुनःनिर्माण

(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन

(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के 608... **प्लौट नं0- 634, 620, 635, 636, खाता नं0- 262, तौजी नं0-बिहार सरकार, थाना नं0- 38, मौजा- हदसपुरा, पता-थाना- दानापुर, जिला- पटना** के बाबत निम्नलिखितशर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0-...48...../18-19 है, जिसका **निर्माण क्षेत्रफल Block A=1252.54 m2, Block B=2122.02 m2 & Block C=1358.61 m2 Total B/u Area 4733.17 m2 वर्ग मीटर** एवं **B+G+3** की स्वीकृति दी जाती है:-

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया **1415.65** वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि **6.10 मी0** चौड़ाई के अनुमोदित पहूच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में **00.00 वर्ग मीटर** चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

Scanned by CamScanner

(ञ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(ट) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

(ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों / कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में दसमें किसी प्रकार की त्रृटि / हेर-फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ-आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता / विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ड) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढ़क कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ढ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules),2016 का अनुपालन किया जाय।

(ण) **अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लम रिहैबिलिटेशन एवं रिडेवलपमेन्ट हाउसिंग पॉलिसी, 2017** के अन्तर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरान्त ही भवन का निर्माण करना होगा।

(त) अन्य शर्त

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संबंधित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली 2017 (RERA) की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

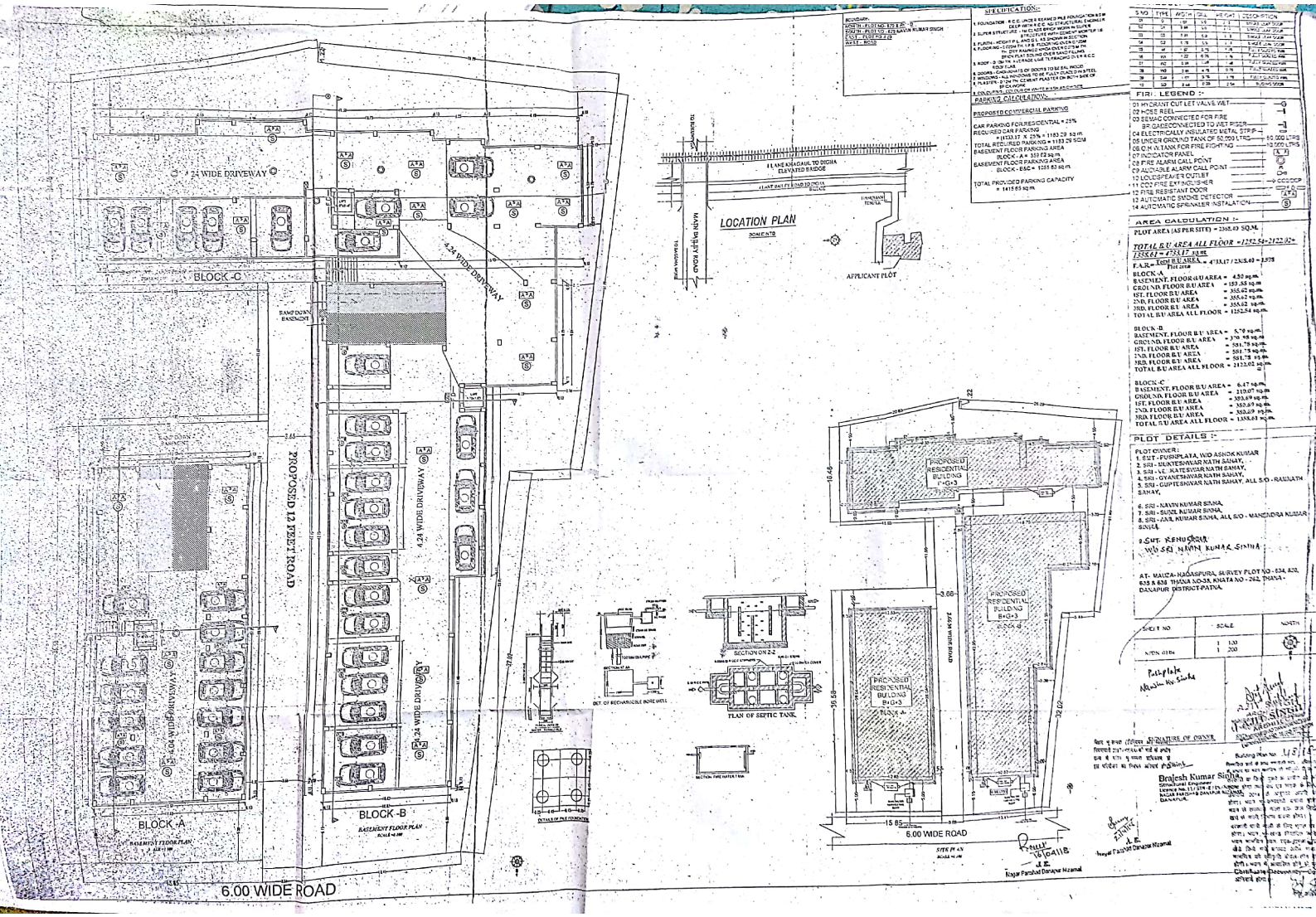
ज्ञापांकः-48..../दिनांकः- ...22/05/2018

प्रतिलिपिः- श्रीमती पुष्पलता, पति-श्री अशोक कुमार, श्री मुक्तेश्वरनाथ सहाय एवं अन्य, पिता-श्री रामनाथ सहाय, पता-हदसपुरा, थाना-रूपसपुर, पो0-खगौल, जिला-पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

22/5/18

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

BOUNDARY:
NORTH - PLOT NO - 620 & RL - 6
SOUTH - PLOT NO - 626 NAVIN KUMAR SINGH
EAST - PLOT NO 620
WEST - ROAD

1. FOUNDATION - R.C.C. UNDER REAMED PILE FOUNDATION DEEP WITH R.C.C. ABOVE STRUCTURAL ENGINEER
2. SUPER STRUCTURE - 1st CLASS BRICK WORK IN SUPER STRUCTURE WITH CEMENT MORTER 1:6
3. PLINTH - HEIGHT P.L. AND G.L. AS SHOWN IN SECTION
4. FLOORING - 0.025M TH. I.P.S. FLOORING OVER 0.075 M TH. DRY RAMMED KHOA OVER 0.075 M TH. BRICK FLAT SOLING OVER SAND FILLING.
5. ROOF - 0.10M TH. AVERAGE LIME TERRACING OVER R.C.C. ROOF SLAB.
6. DOORS - CHOWKHATS OF DOORS TO BE SAL WOOD
7. WINDOWS - ALL WINDOWS TO BE FULLY GLAZED IN STEEL
8. PLASTER - 0.12M TH. CEMENT PLASTER ON BOTH SIDE OF BRICK WORK.
9. COLOURING - COLOUR OR WHITE WASH AS CHOICE

PARKING CALCULATION:-

PROPOSED COMMERCIAL PARKING

CAR PARKING FOR RESIDENTIAL = 25%
REQUIRED CAR PARKING
= (4733.17 X 25% = 1183.29 sq.m.
TOTAL REQUIRED PARKING = 1183.29 SQM
BASEMENT FLOOR PARKING AREA
BLOCK - A = 359.02 sq.m.
BASEMENT FLOOR PARKING AREA
BLOCK - B&C = 1055.83 sq.m.

TOTAL PROVIDED PARKING CAPACITY
= 1415.65 sq.m.

02	D1	0.99	0.0	2.15	SINGLE LEAF DOOR
03	D2	0.91	0.0	2.13	SINGLE LEAF DOOR
04	D3	0.76	0.0	2.13	SINGLE LEAF DOOR
05	W	1.37	0.76	1.78	FULLY GLAZED VAN.
06	W1	1.22	0.76	1.78	FULLY GLAZED VAN.
07	W2	0.91	1.06	1.48	FULLY GLAZED VAN.
08	W3	0.61	4.78	0.76	FULLY GLAZED VAN.
09	SW	1.07	0.76	1.78	FULLY GLAZED VAN.
10	SD	2.44	0.00	2.54	SLIDING DOOR

FIRE LEGEND :-

01. HYDRANT OUT LET VALVE WET
02. HOSE REEL
03. SEMAC CONNECTED FOR FIRE BRIGADECONNECTED TO WET RISER
04. ELECTRICALLY INSULATED METAL STRIP
05. UNDER GROUND TANK OF 50,000 LTRS — 50,000 LTRS
06. O.H.W.TANK FOR FIRE FIGHTING — 10,000 LTRS
07. INDICATOR PANEL
08. FIRE ALARM CALL POINT
09. AUDIABLE ALARM CALL POINT
10 LOUDSPEAKER OUTLET
11. CO2 FIRE EXTINGUISHER — CO2/DCP
12. FIRE RESISTANT DOOR — F.D
13. AUTOMATIC SMOKE DETECTOR
14. AUTOMATIC SPRINKLER INSTALATION

AREA CALCULATION :-

PLOT AREA (AS PER SITE) = 2368.40 SQ.M.

TOTAL B/U AREA ALL FLOOR =1252.54+2122.02+1358.61 = 4733.17 sq.m.

F.A.R. = Total B/U AREA / Plot area = 4733.17 / 2368.40 = 1.998

BLOCK-A
BASEMENT. FLOOR B/U AREA = 4.80 sq.m.
GROUND. FLOOR B/U AREA = 180 .88 sq.m
1ST. FLOOR B/U AREA = 355.62 sq.m.
2ND. FLOOR B/U AREA = 355.62 sq.m.
3RD. FLOOR B/U AREA = 355.62 sq.m.
TOTAL B/U AREA ALL FLOOR = 1252.54 sq.m.

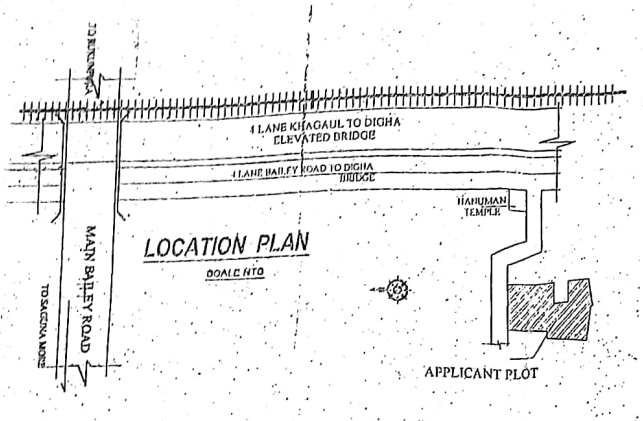
BLOCK-B
BASEMENT. FLOOR B/U AREA = 5.70 sq.m.
GROUND. FLOOR B/U AREA = 370 .98 sq.m.
1ST. FLOOR B/U AREA = 581.78 sq.m.
2ND. FLOOR B/U AREA = 581.78 sq.m.
3RD. FLOOR B/U AREA = 581.78 sq.m.
TOTAL B/U AREA ALL FLOOR = 2122.02 sq.m.

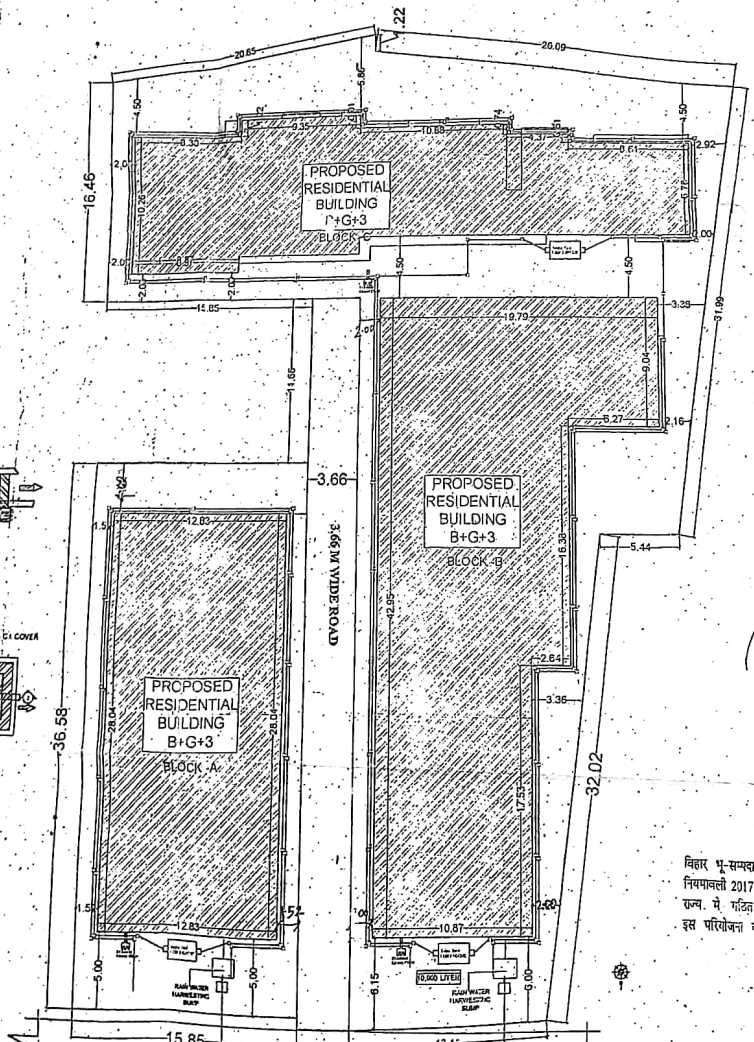
BLOCK-C
BASEMENT. FLOOR B/U AREA = 6.47 sq.m.
GROUND. FLOOR B/U AREA = 210.07 sq.m
1ST. FLOOR B/U AREA = 380.69 sq.m.
2ND. FLOOR B/U AREA = 380.69 sq.m.
3RD. FLOOR B/U AREA = 380.69 sq.m.
TOTAL B/U AREA ALL FLOOR = 1358.61 sq.m.

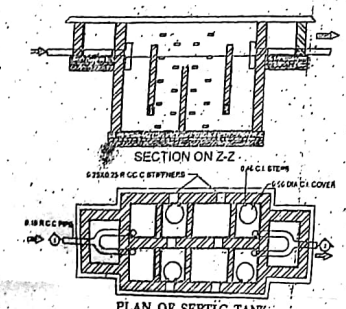
PLOT DETAILS :-

PLOT OWNER :
1. SMT - PUSHPLATA, W/O ASHOK KUMAR
2. SRI - MUKTESHWAR NATH SAHAY,
3. SRI - VELIKATESWAR NATH SAHAY,
4. SRI - GYANESHWAR NATH SAHAY,
5. SRI - GUPTESHWAR NATH SAHAY, ALL S/O - RAMNATH SAHAY,
6. SRI - NAVIN KUMAR SINHA,
7. SRI - SUNIL KUMAR SINHA,
8. SRI - ANIL KUMAR SINHA, ALL S/O - MAHENDRA KUMAR SINHA.
9. SMT. RENU DEVI W/O SRI NAVIN KUMAR SINHA

AT- MAUZA- HADASPURA, SURVEY PLOT NO - 634, 620, 635 & 636 THANA NO-38, KHATA NO - 262, THANA - DANAPUR DISTRICT-PATNA.







SHEET NO.	SCALE.	NORTH.
NPDN.-01/04	1 : 100 1 : 200	

Pushpalata
Navin Kr. Sinha

SIGNATURE OF OWNER

ARCHITECT SANJAY SINGH
M.ARCH (URBAN DESIGN) B.ARCH
ARCHITECT & TOWN PLANNER
NAGAR PARISHAD DANAPUR/NIZAMAT
EMPANELMENT NO. 19/CHIT/2017

Brajesh Kumar Sinha
Structural Engineer
Licence No.11/STR-E/15/NDPM
NAGAR PARISHAD DANAPUR NIZAMAT
DANAPUR.

A.E.
Nagar Parishad Danapur Nizamat

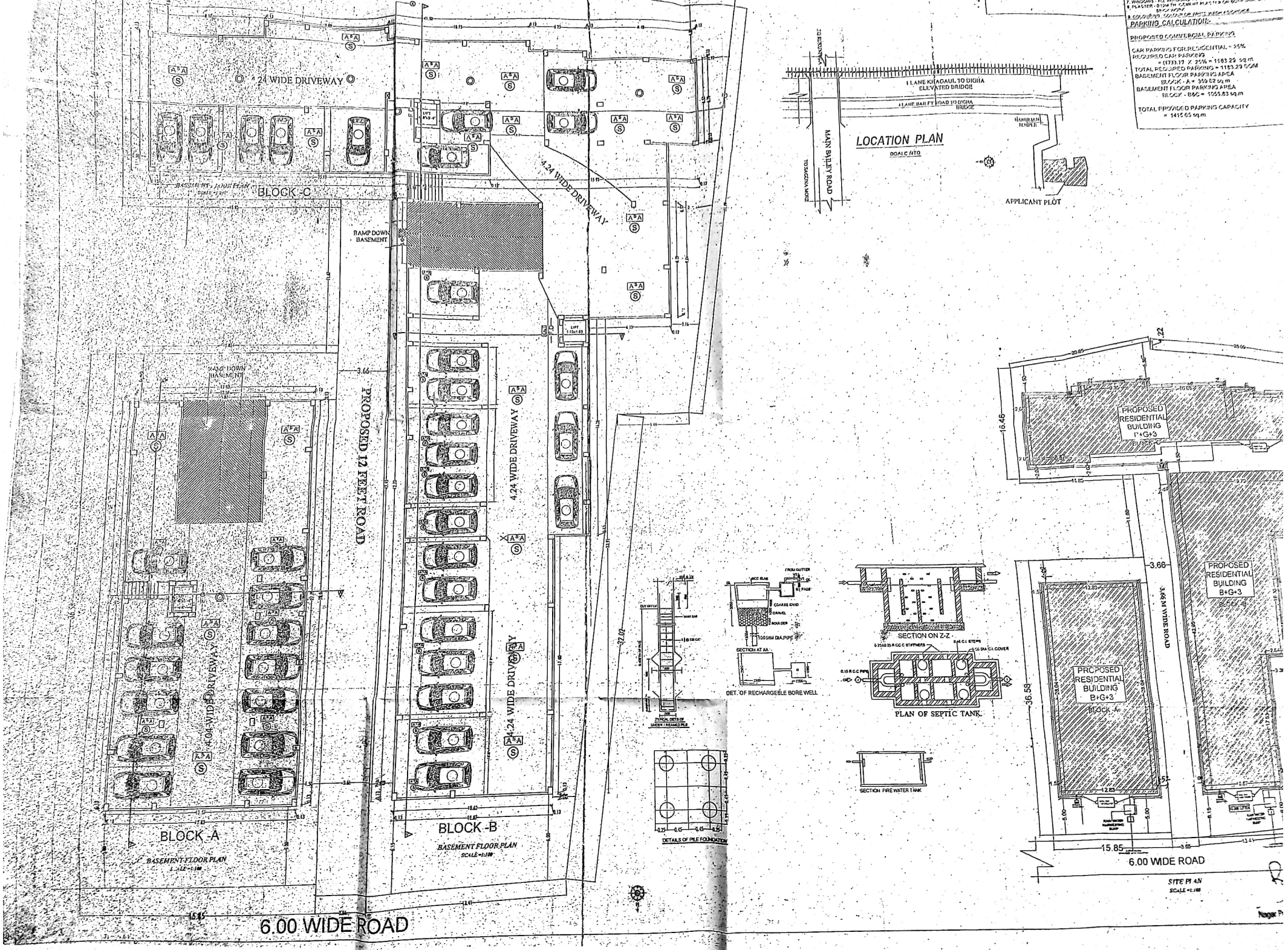
16/04/18
J.E.
Nagar Parishad Danapur Nizamat

बिहार भू-सम्पदा (नियमन और विकास) नियमावली 2017 (RERA) के शर्तों के अधीन गठित भू-सम्पदा प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।

Building Plan No. 48

निम्नांकित शर्तों के साथ तकनीकी जांच के आधार पर भवन मानचित्र की स्वीकृति सरकारी या किसी दूसरे के जमीन उपविधि 2014 के अनुसार आ होगा। भवन भू-कम्परोधी बनान भवन से सरकारी नाला तक जल खर्च से नाली निर्माण करना होग बरसाती पानी नाली के लिए भूम होंगा। भवन भू-खण्ड निर्धारित भवन मानचित्र स्वतः रद्द समझ छोड़े किये गये बनावट अधि मानचित्र की स्वीकृति केवल होगी। भवन में आवासित होने Certificate of Occupancy अनिवार्य होगा।

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner